न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

विश्वनाथ साह

वनाम

योगी शर्मा

वाद संख्या–07/2013–14

वाद का प्रकार–वेदखली

आदेश

18.10.2013 बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादी पर वादी को प्रश्नगत भूमि से वेदखल करने का आरोप लगया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा कहुआ

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
			उ0–राम नारायण
182	1989	2 डि0	सिंह
			द0–रोड
			पु0–तृपित ना0 सिंह
			प0–रोड

प्रथम पक्ष का कहना है कि मद नं0 1 की भूमि साबिक खतियानी में खाता 182 के गैर मजरूआ खास किस्म गढ़ा रकवा 4 डि0 दर्ज है जो बिहार सरकार की थी। मद नं0 1 की भूमि खैसरावार खण्डित रकवा वादी को बिहार सरकार द्वारा अंचल अधिकारी बिरौल से वैध बन्दोबस्त है जिसका बन्दोबस्ती परवाना अन्दर बन्दोबस्ती अभिलेख संख्या 01/2002–03 से उन्हे प्राप्त है। फिर लगान निर्धारण वाद संख्या 01/2002–03 के तहत उक्त भूमि का निर्मित जमाबन्दी संख्या 55 तहत लगान रसीद भी उन्हे निर्गत है। वादी सरकारी मापदण्ड के अनुसार सर्वेथा प्रश्रय प्राप्त रैयत है। मद नं0 1 की भूमि पर वादी का वास्तविक दखल कब्जा धारित है परंतु भौतिक रूप से उसके आंशिक रकवा पर प्रतिवादी अवैध कब्जा जमा

रखें है एवं खाली करने को तैयार नही है। मद नं0 1 की भूमि से सरोकार नही है एवं वह उस भूमि का अवैध वो अनाधिकृत केवाला लेकर अपने दखल कब्जा को वैध बताते है एवं वादी को वेदखल कर रखे है उनका केवाला सर्वेथा सरकारी भूमि का है। मद नं0 1 की भूमि के वेदखल रकवा का प्रवधानानुसार दखल कब्जा पुनर्स्थापित कराने अंचल अधिकारी बिरौल के बारम्बार अभ्यावेदन करते आ रहे है परंतु अभी तक अपेक्षित कारवाई नही की गई है तत्पश्चात उन्होने जिला पदाधिकारी के जनता दरवार में भी याचना आवेदन दाखिल किये जो विज्ञ न्यायालय को निस्तार हेतु क्रम संख्या 3204 दिनांक 2208.2012 निर्देशित किया गया। जबकि प्रतिवादी का कहना है कि विवादित भूमि वो अभिलेख में उल्लेखित खाता 182 खेसरा 1989 रकवा 02 डि0 से प्रतिवादी को कोई मतलब वो सरोकार नही है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में प्रश्नगत भूमि खाता 182 खेसरा 1989 से प्रतिवादी द्वारा वेदखल करने का आरोप लगाया गया है। प्रश्नगत भूमि पर अपने दावा के समर्थन में वादी के नाम बन्दोबस्ती पर्चा एवं लगान रसीद दाखिल किया गया है। बन्दोबस्त पर्चा के अवलोकन से पता चलता है कि वाद पत्र में दर्शाये गये खेसरा 1989 का उल्लेख बन्दोबस्त पर्चा में नही है। दुसरी ओर प्रतिवादी द्वारा भी वाद पत्र में वर्णित भूमि से कोई मतलब वो सरोकार नही होने की बात कही गयी है। इस प्रकार वाद पत्र एवं साक्ष्य में कोई तालमेल नही है जिसके कारण वाद अस्पष्ट है। अतः वाद को खारिज किया जाता है।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

18.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

18.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल